महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

दूरभाष: 0151-2970177 ई-मेल: registrar@mgsubikaner.ac.in

प.07( )मगंसिविबी/प्रबन्ध बोर्ड-35/2021/ 32050 दिनांक 17/2/21

प्रबन्ध बोर्ड की 35 वीं बैठक

कार्यवृत्त (Minutes)

प्रबन्ध बोर्ड की 35वीं बैठक दिनांक 05 फरवरी, 2021 को प्रातः 11:00 बजे प्रबन्ध बोर्ड सभागार, महर्षि शौनक भवन (कुलपति सचिवालय) में माननीय कुलपति प्रो. विनोद कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

1	प्रो. विनोद कुमार सिंह महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	अध्यक्ष
2	श्रीमती कृष्णा पूनिया माननीया विधायक-सादुलपुर	सदस्य
3	श्री जगदीश चन्द्र माननीय विधायक-सादुलशहर	सदस्य
4	डॉ. मोहम्मद नईम, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा प्रतिनिधि, शासन सचिव, उच्च शिक्षा राज. सरकार, जयपुर	सदस्य (ऑनलाईन माध्यम से)
5	श्री संदेश नायक आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान	सदस्य (ऑनलाईन माध्यम से)
6	प्रो. लक्ष्मी शर्मा माननीय कुलाधिपति द्वारा मनोनीत शिक्षाविद्	सदस्य (ऑनलाईन माध्यम से)
7	प्रो. कृपाशंकर तिवाडी माननीय कुलाधिपति द्वारा मनोनीत शिक्षाविद्	सदस्य (ऑनलाईन माध्यम से)
8	डॉ. विनोद चन्द राज्य सरकार द्वारा मनोनीत शिक्षाविद्	सदस्य
9	डॉ. एन.एस. बिस्सा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत शिक्षाविद्	सदस्य
10	डॉ. भगवानाराम विश्नोई राज्य सरकार द्वारा मनोनीत प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय	सदस्य
11	डॉ. अनन्त जोशी राज्य सरकार द्वारा मनोनीत प्राचार्य, निजी महाविद्यालय	सदस्य
12	प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत संकायाध्यक्ष	सदस्य
13	डॉ. मीनू पूनियां कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत संकायाध्यक्ष	सदस्य
14	प्रो. अनिल कुमार छंगाणी कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत आचार्य	सदस्य

Scanned with CamScanner

15	प्रो. राजाराम चोयल कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत आचार्य	सदस्य
16	श्री आर.डी. बारठ, कुलसचिव	सदस्य सचिव
विशेष आमंत्रित		
17	श्री संजय धवन	वित्त नियंत्रक

बैठक के प्रारम्भ में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में उपस्थित एवं विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से जुडे माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। विश्वविद्यालय प्रबन्ध बोर्ड ने निवर्तमान माननीय अध्यक्ष प्रो. पी.सी. त्रिवेदी एवं सदस्य सचिव श्री भंवर सिंह चारण द्वारा प्रबन्ध बोर्ड बैठक एवं विश्वविद्यालय में दिये गए योगदान की सराहना की।

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय में सम्पादित महत्वपूर्ण कार्यो का विवरण सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

मद संख्या	विवरण	अनुभाग/ विभाग
439	दिनांक 30-06-2020 को सम्पन्न हुई प्रबन्ध बोर्ड की 34वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि का प्रस्ताव।	
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	**शैक्षणिक**
440	दिनांक 30-06-2020 को आयोजित प्रबन्ध बोर्ड की 34वीं बैठक के कार्यवृत पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (ATR) के अनुमोदन का प्रस्ताव।	
निर्णय	**(1) श्री राजीव गाँधी विद्यार्थी सुविधा केन्द्र में विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सुविधा शीघ्र उपलब्ध करवाई जाए।** **(2) विश्वविद्यालय में खेलकूद सुविधाओं हेतु एथेलेटिक्स, साईक्लिंग, फुटबाल, बैंडमिन्टन आदि खेलों प्रशिक्षक के पदों की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाने का निर्णय लिया गया। साथ ही विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा विभाग की स्वीकृति हेतु भी राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया जाए।** (3) विश्वविद्यालय परिसर में सिन्थेटिक एथलेटिक्स ट्रेक के निर्माण के सम्बन्ध में श्रीमती कृष्ण पूनियां, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय खेल बोर्ड की अध्यक्षता में समिति गठित कर क्षेत्रीय भौगोलिक/पर्यावरण स्थिति को ध्यान में रखते हुए विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। (4) राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी की 150 वीं जयन्ती वर्ष पर समिति द्वारा प्रस्तुत कार्ययोजना का प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अनुमोदन करते हुए विश्वविद्यालय परिसर में शीघ्र महात्मा गाँधी जी खडी आकृति में मूर्ति स्थापित करवाने का निर्णय लिया गया।	अधिष्ठाता, छात्र कल्याण शैक्षणिक संस्थापन सहायक निदेशक, खेलकूद सम्पदा अधिकारी डॉयरेक्टर, गांधीयन सेन्टर

Scanned with CamScanner

441	विद्या परिषद् की विशेष बैठक दिनांक 18-09-2020 के कार्यवृत के अनुमोदन का प्रस्ताव।	
निर्णय	अनुमोदन किया गया।	शैक्षणिक
442	विश्वविद्यालय के प्रशासनिक एवं वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21 के अनुमोदन का प्रस्ताव ।	
निर्णय	अनुमोदन किया गया।	शैक्षणिक
411	निदेशक, शोध पद की योग्यता निर्धारण का प्रस्ताव।	
निर्णय	निदेशक, शोध पद के लिए योग्यता निर्धारण के सम्बन्ध में अनुशंसा प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार समिति गठित करने का निर्णय लिया गया :- (1) प्रो. विनोद चन्द्रा - सदस्य प्रबन्ध बोर्ड (2) डॉ. संजय मिश्रा - संयुक्त सचिव, विज्ञान एवं तकनीकी विज्ञान, भारत सरकार, नई दिल्ली। (3) प्रो. राजाराम चोयल- निदेशक शोध (कार्यवाहक) - सदस्य सचिव	संस्थापन
412	निदेशक, शोध पद हेतु पूर्व में जारी विज्ञापन निरस्त करने का प्रस्ताव।	
निर्णय	विश्वविद्यालय द्वारा शोध निदेशक पद हेतु पूर्व में जारी विज्ञापन को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।	संस्थापन
413	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय में अनुभाग अधिकारी के पदों को शत प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने का प्रस्ताव।	
निर्णय	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के प्रावधानानुसार इस विश्वविद्यालय में भी अनुभाग अधिकारी, कार्यालय सहायक एवं वरिष्ठ लिपिक के पदों को शत प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने का निर्णय लिया गया।	संस्थापन
414	अनुभाग अधिकारी पद हेतु जारी विज्ञापन निरस्त करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	
निर्णय	विश्वविद्यालय द्वारा अनुभाग अधिकारी पद हेतु पूर्व में जारी विज्ञापन को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।	संस्थापन
415	अशैक्षणिक संवर्ग के कार्मिकों को पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव में शिथिलता प्रदान करने हेतु समिति गठन का प्रस्ताव।	
निर्णय	उक्त मद प्रबन्ध बोर्ड की 34 वीं बैठक में निर्णित होने के	संस्थापन

Scanned with CamScanner

	कारण कोई कार्यवाही शेष नही है।	
416	विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति प्रदान किये जाने सम्बन्धी परिनियम को अनुशंसित करने का प्रस्ताव।	
निर्णय	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति प्रदान किये जाने सम्बन्धी परिनियमों में अंकित समकक्षता (Equaivalency) को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने हेतु निम्नानुसार समिति गठित करते हुए परिनियमों को अनुशंसित करते हुए अनुमोदन हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय को भिजवाने का निर्णय लिया गया :- (1) माननीय कुलपति (2) डॉ. एन.एस. बिस्सा, सदस्य प्रबन्ध बोर्ड (3) कुलसचिव (4) वित्त नियंत्रक	संस्थापन
417	मुख्य परीक्षा 2015 की उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्याकंन हेतु मानदेय भुगतान में से वसूली योग्य राशि में छूट प्रदान किये जाने का प्रस्ताव।	
निर्णय	वित्तीय नियमों के अनुसरण में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त कर कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। साथ ही इस प्रकार की पुनर्रावृति न हो की सुनिश्चितता की जाए।	वित्त नियंत्रक परीक्षा नियंत्रक
422	तिलम संघ से विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर आए कार्मिकों को वर्ष 2004 से विश्वविद्यालय में समायोजन करने हेतु राज्य सरकार से छाया पद सृजित करवाने का प्रस्ताव।	
निर्णय	प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण उक्त मद पर कोई कार्यवाही नही करने का निर्णय लिया गया।	संस्थापन

टेबल मद

443	विश्वविद्यालय के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति प्रदान किये जाने सम्बन्धी परिनियम को अनुशंसित करने का संशोधित प्रस्ताव।	
निर्णय	प्रबन्ध बोर्ड द्वारा उक्त प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया।	संस्थापन
444	विश्वविद्यालय के लिये नए वाहन क्रय करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	
निर्णय	मद को स्थगित करते हुए विश्वविद्यालय के बजट के साथ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।	पूल अधिकारी
445	प्रतिवेदित है कि वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक	

Scanned with CamScanner

	प.9(1)वित्त-1/(1)आ.व्य./2020 जयपुर दिनांक 03 सितम्बर, 2020 के अनुसरण में विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक प्रकृति की सामग्री एवं सेवाएं माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति से प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन की प्रत्याशा में ली गई जिसका विवरण संलग्न है। प्रबन्ध बोर्ड की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।	
निर्णय	**मद को स्थगित करते हुए प्रबन्ध बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।**	सामान्य प्रशासन
446	वित्त समिति की बैठक दिनांक 03-02-2021 के द्वारा अनुशंसित विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 के संशोधित बजट के अनुमोदन का प्रस्ताव।	
निर्णय	**मद को स्थगित करते हुए प्रबन्ध बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।**	वित्त नियंत्रक
447	प्रतिवेदित है कि विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा एवं माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति उपरान्त विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 28518 दिनांक 22.01.2021 के द्वारा 02 कार्मिकों को अनुभाग अधिकारी के पद पर तथा आदेश क्रमांक 28529 दिनांक 22.01.2021 के द्वारा 12 कार्मिकों को कार्यालय सहायक पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। प्रवंध बोर्ड के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।	
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	संस्थापन
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से		
448	विश्वविद्यालय में ऑनलाईन कार्यालय पद्धति प्रारम्भ करने के उद्देश्य एवं माननीय कुलाधिपति महोदय के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में **"यू.एम.एस."** पद्धति लागू की जानी प्रस्तावित है। प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष सैद्धान्तिक सहमति हेतु प्रस्तुत है।	
निर्णय	**मद को स्थगित करते हुए प्रबन्ध बोर्ड की आगामी बैठक में विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।**	सामान्य प्रशासन
449	माननीय सदस्य, प्रबन्ध डॉ. भगवानाराम विश्नोई द्वारा विश्वविद्यालय में संचालित "स्कूल ऑफ लॉ" में डॉ. अनिल कौशिक, सेवानिवृत प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, बीकानेर की सेवाएं डॉयरेक्टर के रूप में लेने हेतु लिखित में प्रस्ताव प्रेषित किया है। राजस्थान सरकार के नियमानुसार सेवानिवृत कार्मिक की सेवाएं अधिकतम 65 वर्ष आयु तक ली जा सकती है। डॉ. कौशिक द्वारा 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर उन्हें मुक्त कर दिया गया था। प्रकरण प्रयन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**प्रबन्ध बोर्ड द्वारा राज्य सरकार के नियमानुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।**	संस्थापन
450	विश्वविद्यालय परिसर शहर से लगभग 13-15 कि.मी. दूरी पर होने के कारण	

Scanned with CamScanner

	विश्वविद्यालय कार्मिकों एवं अध्ययनरत विद्यार्थियों को अचानक प्राथमिक उपचार की आवश्यकता के लिए विश्वविद्यालय में **"हेल्थ केयर सेन्टर"** स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त सेन्टर में सेवानिवृत डॉक्टर एवं नर्सिंग स्टॉफ की सेवाएं ली जानी है। प्रस्ताव प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**प्रबन्ध बोर्ड द्वारा मद पर सैद्धान्तिक सहमति देते हुए** विश्वविद्यालय में **"हेल्थ केयर सेन्टर"** स्थापित करते हुए राज्य सरकार के नियमानुसार सेवानिवृत चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टॉफ की सेवाएं लेने का निर्णय लिया गया। साथ ही **"हेल्थ केयर सेन्टर"** में स्थाई चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टॉफ के पदों की स्वीकृति हेतु भी राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।	सामान्य प्रशासन संस्थापन
451	विश्वविद्यालय में अध्ययनरत एवं एल्युमिनी विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर के सम्बन्ध में जानकारी तथा उनको कौशल एवं स्वरोजगार के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय परिसर में **"केरियर कॉउन्सलर"** की सेवाएं ली जानी प्रस्ताविंत है। प्रस्ताव प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	श्री राजीव गाँधी विद्यार्थी सुविधा केन्द्र **में** केरियर कॉउन्सिलिंग कार्यालय स्थापित कर **राजस्थान कौशल विकास विश्वविद्यालय के माध्यम से "केरियर कॉउन्सलर"** की सलाहाकार के रूप में सेवाएं लिये जाने का निर्णय लिया गया।	प्रभारी

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

(आर.डी. बारठ)
सदस्य सचिव

Scanned with CamScanner